

01/2022

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अथ इतिशियलय जज

नम्बर  
अदालत  
की तारीख

15/01/2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्राथी एकपक्षीय। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में खातेदारी अधिकारों की धोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण/वादीगण माफिक अनुतोष पाने के हकदार है अथवा नहीं। इस कारण स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम द्वष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है, क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद-विवाद हो जाता है, तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्वष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 03.01.2022 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक क्लर्क  
(S.D.O.) जलोरा